प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 09.08.2026

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

सिंगल यूज प्लास्टिक एवं गंदगी पर निगम की कार्रवाईए 5,000 रुपए का चालान

भिलाई। वार्ड क्रमांक 06, प्रियदर्शिनी परिसर क्षेत्रांतर्गत घड़ी चौक, सुपेला स्थित श्पुजा नास्ता साऊथ नाम से संचालित चाय.नाश्ता दुकान पर नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान दुकान परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं गंदगी पाए जाने पर 5,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। निगम की टीम द्वारा दुकान संचालक को स्वच्छता बनाए रखने तथा खाद्य पदार्थों को ढककर सुरक्षित एवं स्वच्छ तरीके से रखने के निर्देश दिए गए।

नगर निगम द्वारा दुकानदारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को लगातार स्वच्छता नियमों का पालन करने, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने तथा खाद्य पदार्थों की स्वच्छता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की समझाइश दी जा रही है।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।